संख्या–1/3/96–का–4–2012

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊ : दिनांकः 22 मई, 2012

विषयः–सरकारी अधिकारियों/ कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 22.3.2012 के अन्य मार्गदर्शक सिद्धान्त से संबंधित प्रस्तर–10 में उपप्रस्तर–(5) के उपरान्त निम्न उपप्रस्तर–(6),(7),(8) एवं (9) जोड़े जाते हैं:–

10. (6) स्थानान्तरण किये जाने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट–आफ–डेट 31.3.2012 मानी जाय ।

(7) स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर–5 के अनुसार प्रत्येक संवर्ग के 15 प्रतिशत कर्मचारियों/ अधिकारियों के स्थानान्तरण किये जांय । स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर–2 एवं 3 से आच्छादित होने वाले प्रकरणों में यदि 15 प्रतिशत से अधिक स्थानान्तरण किया जाना प्रस्तावित हो, तो समूह 'क' एवं 'ख' के लिए मा. विभागीय मंत्री जी के माध्यम से मा. मुख्य मंत्री जी एवं समूह 'ग' एवं 'घ' के लिए मा. विभागीय मंत्री जी का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाय ।

(8) 02 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले समूह 'ग' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद एवं समूह 'क' एवं 'ख' के कार्मिकों को उनके गृह जनपद को छोड़ते हुए इच्छित जनपद में तैनात करने पर यथासंभव विचार किया जाय ।

(9) समूह 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के प्रस्तर–1 के प्राविधानों से आच्छादित होने पर, प्रदेश स्तरीय संवर्ग होने पर किसी अन्य मण्डल/जनपद में तथा मण्डल स्तरीय संवर्ग होने पर मण्डल के अन्दर किसी अन्य जनपद में किये जांय ।

2. अनुरोध है कि स्थानान्तरण सत्र 2012–2013 में स्थानान्तरण किये जाते समय उपर्युक्त प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–1/3/96(1)–का–4–2012, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल जी ।
2. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी ।
3. निजी सचिव, मा. मंत्रिगण ।
4. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव ।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।
6. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
8. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
9. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(एच.एल.गुप्ता)
विशेष सचिव

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 12 सा0 नियुक्ति–23–5–2012–(260)–3002–(आफसेट)।